छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल
पुराना नर्सेस हास्टल, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक/रजि0 नर्सिंग कां0/2020/ रायपुर, दिनांक / /2020

प्रति,

समस्त शासकीय/निजी
जी.एन.एम. नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र (छ.ग.)

विषयः— <u>छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा आयोजित 33वीं काउन्सिल परीक्षा, पाठ्यक्रम जी.एन.एम. प्रथम वर्ष, पुनर्गणना (Re-Totaling) की सूचना बाबत्।</u>

—::000::—

छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा आयोजित **(33वीं काउन्सिल परीक्षा)** के पुनर्गणना हेतु आवेदन आंमत्रित किऐ जाते है। कोरोना संक्रमण महामारी को देखते हुऐ पुनर्गणना **<u>(Re-Totaling)</u>** हेतु आवेदन, **E-Mail** द्वारा ही स्वीकार किया जायेंगा एवं आवेदन फार्म भरने कि अंतिम तिथि **25/06/2020** है।

<u>पुनर्गणना आवेदन – पत्र संबंधी प्रकिया के निर्देश निम्न है :–</u>

1. प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य/प्राचार्या/परीक्षार्थी, काउन्सिल द्वारा पुनर्गणना हेतु निर्धारित नियमों व निर्देशो का समुचित अध्ययन करने के उपरांत नियमों के अधीन पुनर्गणना हेतु आवेदन करे।
2. छात्र अपना आवेदन पत्र सोच समझकर सही सही भरे। आवेदन पत्र के किसी भी प्रकार का सुधार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. पुनर्गणना आवेदन पत्र **प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्या द्वारा सत्यापित कर** प्रशिक्षण केन्द्र के Official E-Mail के माध्यम से छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल के Official E-Mail <u>snrc.cg@gmail.com</u> में ही स्वीकार किया जायेंगा।
4. आवेदक को पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन में से किसी एक ही आवेदन की पात्रता होगी।
5. आवेदक को अधिक्तम दो विषयों में ही पुनर्गणना ही पात्रता होगी।
6. पुनर्गणना आवेदन हेतु टी.आर.शीट./ऑनलाईन पेमेंन्ट की प्रतिलिपि लगाना अनिवार्य है।
7. पुनर्गणना आवेदन पत्र से संबंधित सभी दस्तावेजों को 250 या 300 डीपीआई (Resolution) पर स्कैन कर **PDF FILE** बना कर ही E-Mail करें।
8. पुनर्गणना शुल्क **200 रू.** प्रति विषय व फार्म शुल्क **50/–** एवं भुगतान केवल Online Payment Mode द्वारा ही मान्य होगा।
9. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जाएगा।

Cont….

10. जी.एन.एम. परीक्षाओं के परिणाम पश्चात् नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित छात्र निम्नानुसार पुनर्गणना करवाने के पात्र होगें।

अ. जी.एन.एम. प्रथम वर्ष के नियमित छात्र जो दो विषय में उत्तीर्ण हो व शेष विषयो के सैद्धांतिक प्राप्तांक में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त किये हो (27 अंक)

उक्त पुनर्गणना प्रायोगिक (Practical) व आंतरिक (Internal) प्रांप्तांक पर लागू नही होगा।

11. पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित नियमों के आधार पर पात्रतानुसार स्वीकार्य नही किया जावेगा।

अ. पूरक/ए.टी.के.टी की श्रेणी से सम्मिलित द्वितीय पूरक परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्गणना हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जावेगे।

12 परीक्षार्थियों को पुनर्गणना परिणाम की सूचना/जानकारी संबधित संस्था के माध्यम से **Website - www.cgnrc.org** के माध्यम से प्राप्त होगी।

13 परीक्षार्थियों को पुनर्गणना परिणाम घोषित होने के एक माह के अंदर संबधित परीक्षा (यदि उनके परिणाम घोषित नही हुए हो तो) काउन्सिल को अवगत कराना आवश्यक है, ताकि इस संबंध कार्यवाही किया जा सके।

14 पुनर्गणना के पश्चात यदि छात्र मूल प्राप्तांक से कम या अधिक अंक प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति मे कम या अधिक प्राप्त अंको को बराबर उसके प्राप्तांक माने जायेगें।

15 पुनर्गणना के लिए छात्रो द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किये गये तो काउन्सिल को पूर्ण अधिकार है कि एक ही आवेदन पर विचार किया जायेगा।

नोटः— यदि इस विषय में अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन दूरभाष 0771—2227600 में कार्यालयीन समय व दिवस में संपर्क करें।

//
रजिस्ट्रार
छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल
रायपुर, छ.ग.

क्रमांक/रजि0 नर्सिंग कां0/2020/899 रायपुर, दिनांक 17/06/2020

प्रतिलिपी :—

1. अध्यक्ष, छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वेबसाईट प्रति।

Dhanuriya
रजिस्ट्रार
छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल
रायपुर, छ.ग.